This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
https://rajpatra.hp.gov.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 25 फरवरी, 2026 / 06 फाल्गुन, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 21 फरवरी, 2026

संख्याः 257365-लूज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः हैल्थ–ए(ए)3–5 / 98

तारीख 02–12–1999 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 22–12–1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मेडिकल एजुकेशन सर्विस रूल्ज, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मेडिकल एजुकेशन सर्विस (तेरहवां संशोधन) रूल्ज, 2026 है।

(2) ये नियम 24 मई, 2023 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. **रूल 14 का प्रतिस्थापन.**—हिमाचल प्रदेश मेडिकल एजुकेशन सर्विस रूल्ज, 1999 के रूल 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

"14. Non-Practicing Allowance.—Persons appointed to service shall not be allowed to do private practice of any kind, whatsoever including consultation and laboratory practice and Non-Practicing Allowance (NPA) shall not be admissible for all doctors or faculty members recruited on or after 24th May, 2023 in the Department of Medical Education & Research, Himachal Pradesh of the State Government."

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / –
सचिव (स्वास्थ्य)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. 257365 Loose, dated 21-02-2026, as required under clause (3) of Article of the Constitution of India].

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 21st February, 2026

No. : 257365-Loose.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Medical Education Service Rules, 1999 notified *vide* this Department Notification No. Health-A(A)3-6/98, dated 02-12-1999 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 22-12-1999, namely:—

1. **Short title and commencemet.—**These rules may be called the Himachal Pradesh Medical Education Service (13th Amendment) Rules, 2026.

(2) These rules shall be deemed to have come into force on 24th May, 2023.

2. **Substitution of rule 14.—**For rule 14 of the Himachal Pradesh Medical Education Service Rules, 1999, the following shall be substituted, namely:—

"14. Non-Practicing Allowance.—Persons appointed to service shall not be allowed to do private practice of any kind, whatsoever including consultation and laboratory practice and Non-Practicing Allowance (NPA) shall not be admissible for all doctors or faculty members

recruited on or after 24th May, 2023 in the Department of Medical Education & Research, Himachal Pradesh of the State Government.

By order,

Sd/-
Secretary (Health).

AGRICULTURE DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 24th February, 2026

No.Agr.A(3)5/2013-L.—The word in the first line of this department's Notification of even number dated 18-02-2026 *i.e.* under Section 64 (5) may please be read as under Section 64 (2) instead of under section 64(5).

C. PAULRASU,
Secretary (Agriculture).

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 20th February, 2026

No. IND-A(F)4-1/2019.—In supersession of this Department Notification No. Ind.A(F) 4-1/2019 dated 18-07-2019 & 11-08-2020, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to re-constitute a State Level Single Window Clearance & Monitoring Authority consisting of the following Members with immediate effect:—

1.	Chief Minister, Himachal Pradesh	Chairman
2.	Industries Minister, Himachal Pradesh	Vice-Chairman
3.	Chief Secretary to the Govt. of H.P.	Member
4.	Administrative Secretary (Power) to the Govt. of H.P.	Member
5.	Administrative Secretary (Revenue) to the Govt. of H.P.	Member
6.	Administrative Secretary (Env. Sci. & Tech) to the Govt. of H.P.	Member
7.	Administrative Secretary (Forest) to the Govt. of H.P.	Member
8.	Administrative Secretary (Inds.) to the Govt. of H.P.	Member
9.	Administrative Secretary (Labour & Employment) to the Govt. of H.P.	Member
10.	Administrative Secretary (TCP/UD) to the Govt. of H.P.	Member
11.	Administrative Secretary (I&PH) to the Govt. of H.P.	Member

12.	Secretary of concerned Department whose projects are being placed	Member
13.	HOD of concerned Department whose projects are being placed	Member
14.	Director of Industries, Himachal Pradesh	Member Secretary

2. Besides, the following shall be Special Invitees to the Authority as and when required, when a specific item of their interest comes up for discussion:—

1.	Managing Director, HPSEBL.	Special Invitee
2.	Managing Director, HPPTCL	-do-
3.	Engineer-in-Chief, I&PH Deptt., Shimla	-do-
4.	Member Secretary, H.P. State Pollution Control Board	-do-
5.	Any other Secretary/HOD whose advice is required	-do-

3. The Terms of Reference of the above Authority will be as under:—

(i) The Investible Projects of all Sectors having investment exceeding Rs. 10.00 Crore in Plant & Machinery/Equipments will be placed before the State Level Single Window Clearance & Monitoring Authority. Further, the project proposals for setting up new industrial enterprise having investment in Plant & Machinery/Equipments upto Rs.10.00 Crore and expansion proposals of existing enterprises having additional investment in Plant & Machinery/Equipments upto Rs. 10.00 Crore will be decided at the level of State Review Committee (Sub-Committee of SLSWC & MA) under the chairmanship of Director of Industries.

(ii) To discuss and solve all contentious and inter departmental issues, monitor and review the progress of such units already approved, being set up and expedite approvals (administrative and statutory) by each concerned Department necessary for the establishment of such units in the State.

(iii) **To consider and decide on:—**

- Proposals received for setting up of Investible Projects or their expansion as defined above.
- Proposals received which are listed as Negative Industries by the State Government under its applicable Industrial Policy as notified from time to time.
- Forest produce based industry.

(iv) The State Level Single Window Clearance and Monitoring Authority shall examine the applications for giving clearances, special concessions, exemptions or relaxations under the provisions of law, after taking into consideration the comments of the Department, if any, and make the recommendations to the Government.

(v) Such other matters as the Govt. may refer or delegate to the Authority from time to time.

4. For speedy disposal of the cases, the following procedure for clearance of proposals by the State Level Single Window Clearance & Monitoring Authority for setting up of investible project in the State within 45 working days is laid, subject to the following conditions:—

(i) All applicants shall apply through online on Common Application Form (CAF) alongwith Detailed Project Report to Director of Industries.

(ii) All e-applications of Industrial Projects, complete in all respects, received by the State Single Window Nodal Officer will be initially examined by him and thereafter be forwarded electronically to the Departmental Nodal Officer of concerned Regulatory Department *i.e.* HPSEBL, HPPCB, I & PH, Forest, Excise & Taxation, Labour & Employment etc. The concerned Departments will furnish necessary clearance/pre-regulatory establishment approvals/comments within 7 working days from the date of its circulation.

(iii) All e-applications of other Sectors will be submitted to concerned Department for further processing and obtaining comments/approval of regulatory departments. concerned Departments will furnish necessary clearance/pre-regulatory establishment approvals/comments within 7 working days from the date of its circulation. After obtaining comments/approval, the concerned Departmental Nodal Officer will send the proposals to the State Single Window Nodal Officer for placing the same before the State Level Single Window Clearance & Monitoring Authority.

(iv) After receipt of comments/pre-setting approval from the concerned Departments, the Sub-Committee under the Chairmanship of the Director/Commissioner Industries and consisting of the Director, Town & Country Planning, H.P., Engineer-in-Chief (IPH), Chief Engineer(Commercial). H.P.SEBL, Member Secretary, H.P. State Pollution Control Board and other concerned Head of Departments as Members will examine and to recommend the proposals to the SLSWC & MA alongwith comments received from various Departments for final clearance/decision within the stipulated time of 15 days.

(v) Even, if no comments are received from the concerned Departments within stipulated period the proposal will be included in the agenda of the State Level Single Window Clearance & Monitoring Authority and the Department concerned will explain their position before the Authority, which will decide the case accordingly.

By order

Sd/-
Addl. Chief Secretary (Industries).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 21st February, 2026

No. TPT-C(9)-7/2003.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot/release registration mark **HP-71 B alongwith Serial No. 0001 to 9999** to the Regional Transport Officer Sirmaur at Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication of this notification in the H.P. Rajpatra (e-Gazette) in the public interest.

By order,

R. D. NAZEEM, I.A.S.,
Additional Chief Secretary (Transport).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 21st February, 2026

No. TPT-C(9)-1/2025.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section 14(3) of Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to exempt the Vehicle No. HP-51 B 1787 (Heavy Goods Vehicle) which is registered in the name of Shri Vinod Thakur, s/o Shri O.P. Thakur, r/o House No.-1 Mann House Shankly Shimla, Himachal Pradesh from the payment of Token Tax *w.e.f.* 23-03-2021 to till date in the public interest.

By order,

R. D. NAZEEM, I.A.S.,
Additional Chief Secretary (Transport).

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला–02, 24 फरवरी, 2026.

ई0एक्स0एन0–एफ (10)–2 / 2025–वॉल–1.––हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 112 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों पर, तारीख 30 जून, 2026 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करते है जिस तक, इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष, उन मामलों के संबंध में जहां वह आदेश जिसके विरूद्ध अपील की जाने की वांछा की गई है, 1 अप्रैल, 2026 से पहले अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचित कर दिया गया है, अपील फाइल की जा सकेगी, और 1 अप्रैल, 2026 को या उसके पश्चात् संसूचित आदेश के संबन्ध में सभी अपीलें उस तारीख से, जिसको ऐसा आदेश अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की जा सकेंगी।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (राज्य कर एंव आबकारी)।

[Authoritative English text of this Department's Notification No. EXN-F(10)-2/2025-Vol-I dated 24-02-2026 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th February, 2026

EXN-F(10)-2/2025-Vol-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 112 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the

Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the GST Council, is pleased to hereby notify the 30th Day of June, 2026, as the date upto which appeal may be filed before the Appellate Tribunal under this Act in respect of all cases where the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal before the 1st day of April, 2026 and all appeals in respect of order communicated on or after 1st April, 2026 may be filed before the Appellate Tribunal within three months from the date on which such order is communicated to the person preferring the appeal.

By order,

Principal Secretary (ST&E).

COOPERATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 23rd February, 2026

No. Coop-F (10)-1/2025.—In pursuance of the clause 5 of the Himachal Pradesh Cooperative Policy-2025, titled as "Monitoring and implementation Structure" the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the following two Committees as under:—

1. State Steering Committee on Cooperation Policy for overall guidance, inter-ministerial coordination, periodic policy review etc. :—

1.	Hon'ble Minister (Cooperation)	*Chairman*
2.	ACS/Principal Secretary/Secretary (Cooperation) to the Government of Himachal Pradesh.	*Convener*
3.	ACS/Principal Secretary/Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
4.	ACS/Principal Secretary/Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
5.	ACS/Principal Secretary/Secretary (Rural Development) to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
6.	ACS/Principal Secretary/Secretary (Food Civil Supplies and Consumer Affairs) to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
7.	ACS/Principal Secretary/Secretary (Agriculture) to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
8.	ACS/Principal Secretary/Secretary (Horticulture) to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
9.	ACS/Principal Secretary/Secretary (Animal Husbandry) to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
10.	ACS/Principal Secretary/Secretary (Fisheries) to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
11.	Registrar, Cooperative Societies, Himachal Pradesh	*Member*

2. State-Level Policy Implementation and Oversight Committee for coordination, troubleshooting implementation bottlenecks, periodic monitoring evaluation, etc. :—

1.	ACS/Principal Secretary/Secretary (Cooperation) to the Government of Himachal Pradesh.	*Chairperson*
2.	Registrar, Cooperative Societies, Himachal Pradesh	*Convener*
3.	Director, Rural Development, Himachal Pradesh	*Member*
4.	Director, Land Records, Himachal Pradesh	*Member*
5.	Director, Food Civil Supplies and Consumer Affairs, Himachal Pradesh	*Member*
6.	Director, Agriculture, Himachal Pradesh	*Member*
7.	Director, Horticulture, Himachal Pradesh	*Member*
8.	Director, Animal Husbandry, Himachal Pradesh	*Member*
9.	Director, Fishries, Himachal Pradesh	*Member*
10.	Chief General Manager, NABARD	*Member*

Sd/

(AMARJEET SINGH),
Secretary (Cooperation).

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 फरवरी, 2026

संख्या: एफ डी एस-ए(3)-2/2022-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, **उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम**, 2019 (2019 **का** 35) **की धारा** 33 **की उप-धारा** (3) **और धारा** 46 **की उप-धारा** (3) **के साथ पठित धारा** 102 **की उप-धारा** (2) **के खण्ड** (**झ**) **और** (**ढ**) द्वारा **प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए**, **इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ डी एस-ए**(3)-2/2022 **तारीख** 29 **फरवरी**, 2024 द्वारा **अधिसूचित और राजपत्र** (**ई-गजट**), **हिमाचल प्रदेश में तारीख** 11 **मार्च**, 2024 **को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें नियम**, 2024 **का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं**, **अर्थात्** :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:	(1)	**इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें (संशोधन) नियम**, 2026 **है।**
	(2)	**ये नियम राजपत्र** (**ई - गजट**), **हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख**

		से प्रवृत्त होंगे।
2. नियम 1 **का संशोधन**:		**हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें नियम,** 2024 **(जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम** 1 **के उप-नियम** (1) **के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्**:- "(1) **इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (राज्य/जिला आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, प्रोन्नति, नियन्त्रण, आचरण, अनुशासन एवं अपील और सेवा की अन्य शर्तें) नियम,** 2024 **है** l"
3. **अनुसूची**-II **का संशोधन**:	**(i)**	**उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची**-II **में, क्रम संख्या** 12 **के सामने स्तंभ, "नियुक्ति की पद्धति/सेवा की अवधि" में, "चपरासी" शब्द के पश्चात् "/चौकीदार" शब्द और चिन्ह का लोप किया जाएगा और "अनुसूची** –IV **(भाग-ख(ख)) में विहित प्रक्रिया के अनुसार" शब्दों के पश्चात् "ऐसा न होने पर अनुसूची**-IV **(भाग-ख (क)) के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर यथास्थिति, नियमित आधार पर या नियमितीकरण** द्वारा **सीधी भर्ती के आधार पर" शब्द जोड़े जाएंगे** l
	(ii)	**क्रम संख्या** 14 **के सामने, विद्यमान स्तंभ "नियुक्ति की पद्धति/सेवा की अवधि" के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा**:- "**आदेशिका तामीलकर्ता में से प्रोन्नति** द्वारा, **जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर अनुसूची**-IV **(भाग-घ) में विहित प्रक्रिया के अनुसार, यथास्थिति, नियमित आधार पर या नियमितीकरण** द्वारा **सीधी भर्ती के आधार पर** l" ;
	(iii)	**क्रम संख्या** 15(**ख**) **के सामने, स्तम्भ "नियुक्ति की पद्धति/सेवा की अवधि" में, "चपरासी" शब्द के पश्चात् "/चौकीदार" शब्द और चिन्ह का लोप किया जाएगा ; और**
	(iv)	**क्रम संख्या** 16 **के सामने, स्तम्भ "पद का नाम" में, "चपरासी" शब्द के पश्चात् "/चौकीदार" शब्द और चिन्ह का लोप किया जाएगा** l
4. **अनुसूची**-IV **का संशोधन**:l	**(i)**	**उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची**- IV **में**,- **भाग-ख(ख) में, "अन्य वर्ग** –IV **पदधारियों" शब्दों के पूर्व "चौकीदार के सिवाए" शब्द जोड़े जाएंगे** l
	(ii)	**भाग-घ में, विद्यमान शीर्ष/शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा**

		जाएगा, **अर्थात्** :- "**बैलिफ और आदेशिका तामीलकर्ता** (**यथास्थिति**, **नियमित आधार पर या नियमितीकरण** द्वारा) **के पद के लिए लिखित परीक्षा**" ।
	(iii)	**भाग-ड**.(**क**) **में**, "**चपरासी**/" **शब्द और चिन्ह के पश्चात्** "**चौकीदार**/" **शब्द और चिन्ह का लोप किया जाएगा और** "**नियमित**/**संविदा**" **शब्दों और चिन्ह के स्थान पर** "**यथास्थिति**, **नियमित आधार पर या नियमितीकरण** द्वारा **भर्ती के आधार पर**" **शब्द रखे जाएंगे** ।

आदेश द्वारा,

आर. डी. नज़ीम
अतिरिक्त मुख्य सचिव
(खाद्य, **नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले**) ।

[*Authoritative English Text of this Department's Notification number FDS-A(3)-2/2022-I, Dated 20-02-2026 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].*

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th February, 2026

No. FDS-A(3)-2/2022-I.—In exercise of the powers conferred by clauses (i) & (n) of sub-section(2) of Section 102 read with sub-section (3) of Section 33 and sub-section (3) of Section 46 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the "the Salaries and Allowances payable to and other terms and conditions of services of the officers and other employees of State/District Consumer Disputes Redressal Commissions Rules, 2024" notified *vide* this Department Notification No. FDS-A(3)-2/2022, dated 29th February, 2024 and published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh dated 11-3-2024, namely:—

1. Short title and Commencement:	(1)	These rules may be called the Salaries and Allowances payable to and other terms and condition of services of the officers and other employees of the State/District Consumer Disputes Redressal Commissions (Amendment) Rules, 2026.
	(2)	These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 1:		In rule 1 of the Salaries and Allowances payable to and other terms and condition of the services of the officers and other employees of the State/District Consumer Disputes Redressal Commissions Rules, 2024 (hereinafter referred to as the "said rules"), for sub-rule (i) the following shall be substituted, namely:— " These rules may be called the Himachal Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission (Recruitment, Promotion, Control, Conduct, Discipline and Appeal and other conditions of service of officers and other employees of the State/District Commissions) Rules, 2024".
3. Amendment of Schedule-II.	(i)	In **Schedule –II**, appended to the said rules, in **Serial No.12,** against column "Mode of appointment/Length of service, after the word "Peons", the word and sign "/Chowkidars" shall be deleted and after the words and signs **"Schedule-IV [PART-B (B)]**" the words, **"failing which by direct recruitment on regular basis or recruitment by regularization, as the case may be, on the basis of competitive examination as per Schedule–IV (PART-B {A})"** shall be added;
	(ii)	in s**erial No.14,** against column "Mode of appointment/Length of service" for the existing provisions, the following shall be substituted, namely:- **"By promotion from amongst Process Servers having three years regular service or regular combined with continuous ad hoc service, if any, failing which by direct recruitment on regular basis or recruitment by regularization, as the case may be as per procedure prescribed in Schedule-IV (Part-D).";**
	(iii)	in **serial No.15,** against column "Mode of appointment/Length of service" after the word "**Peon**", the word and sign "/Chowkidar" shall be deleted; and
	(iv)	in **serial No.16,** against column "Name of Post", after word Peon, the word and sign "**/Chowkidar"** shall be deleted.
4. Amendment of Schedule-IV:	(i)	In **Schedule –IV**, appended to the said rules,- (i) in **Part-B (B),** after words and sign "other Class–IV official", the words "**except Chowkidar**" shall be added.

	(ii)	in **Part-D, for the** existing head/title, the following shall be substituted, namely:- **"WRITTEN TEST FOR THE POST OF BAILIFF AND PROCESS SERVER (REGULAR/BY REGULARIZATION, AS THE CASE MAY BE)".**
	(iii)	in **Part-E** (a) after the word "Peon", the word and sign "**Chowkidar/**" shall be deleted and for the words and sign "on Regular/Contract" the words "on regular basis or recruitment by regularization as the case may be" shall be substituted.

By order,

R.D. NAZEEM, IAS,
Addl. Chief Secretary (F, CS & CA).

PRINTING & STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th February, 2026

File No.P.S.D-B02/1/2024.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Sh. Avtar Singh, Superintendent Grade-I (Class-I Gazetted) in the Department of Printing & Stationery, Himachal Pradesh shall retire from Government service on attaining the age of superannuation on 30-06-2026 (A.N.).

By order,

Sd/-

PRIYANKA BASU INGTY,
Secretary (P&S).

ब अदालत डीसी राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट सलूणी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती बन्ती पुत्री लोभी राम, निवासी गांव भडेला परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म / मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती बन्ती पुत्री लोभी राम, निवासी गांव भडेला परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म 16–07–1965 को ग्राम पंचायत भडेला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। लेकिन वो अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत भडेला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी। अतः ग्राम पंचायत भडेला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसका जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर / एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 02–03–2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैर–हाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना–पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात 02–03–2026 के बाद कोई भी उजर / एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 04–02–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत डीसी राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट सलूणी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री रविन्दर कुमार पुत्र तेज सिंह, निवासी गांव जलोट परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म / मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री रविन्दर कुमार पुत्र तेज सिंह, निवासी गांव जलोट परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म 03–08–1997 को ग्राम पंचायत भडेला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। लेकिन वो अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत भडेला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत भडेला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर / एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 02–03–2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैर–हाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना–पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात 02–03–2026 के बाद कोई भी उजर / एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 04–02–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

———————

**ब अदालत डीसी राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट सलूणी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्रीमती सहेली देवी पुत्री चतरो, निवासी गांव डिभरू परगना जून्ढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म / मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती सहेली देवी पुत्री चतरो, निवासी गांव डिभरू परगना जून्ढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म 01–01–1970 को ग्राम पंचायत खरल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। लेकिन वो अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत भडेला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत भडेला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर / एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 02–03–2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैर–हाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना–पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात 02–03–2026 के बाद कोई भी उजर / एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 04–02–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

———————

**ब अदालत डीसी राणा नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट सलूणी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री आयूब मुहम्मद पत्नी शफी मुहम्मद निवासी गांव इच्छलोई परगना किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री आयूब मुहम्मद पत्नी शफी मुहम्मद निवासी गांव इच्छलोई परगना किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनके पुत्र शबीर का जन्म 09–12–2011 को ग्राम पंचायत सूरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। लेकिन वो अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सूरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत सूरी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 02–03–2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैर–हाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना–पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात 02–03–2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 04–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री वैन्सू, निवासी मटोला, डाकघर गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र अन्य कागजात इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके पिता का सही नाम ज्ञान चन्द पुत्र श्री वैन्सू है। परिवार नकल ग्राम पंचायत पधरोटू मे सही नाम दर्ज है लेकिन उनकी मलकियित भूमि मुहाल मटोला पटवार वृत्त भटोली में उनके पिता का नाम श्री ज्ञानो पुत्र श्री वैन्सू दर्ज है जोकि गलत है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम के पिता का नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 12–03–2026 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा

सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री कुशल सिंह नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 20 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2026–166–67 दिनांक : 10–02–2026

सुमित्रा देवी पुत्री भीलो राम, गांव व डाकघर सालवा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सालवा, विकास खण्ड सलूणी प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्याकाल पत्र संख्याः–HFW-B&D/CMO-CBA/2025-1006Dated 15-01-2026. शपथ–पत्र, जन्म रिपोर्ट, अप्रायप्ता प्रमाण–पत्र, परिवार नकल, अधार कार्ड, जिसमें आवेदिका सुमित्रा देवी पुत्री भीलो राम, गांव व डाकघर सालवा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई हे। परिणामस्वरुप पंचायत जन्म तिथि पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका सुमित्रा देवी का नाम एवं जन्म दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण तिथि जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो कि दिनांक 15–01–2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सुमित्रा देवी पुत्री भीलो राम, गांव व डाकघर सालवा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01–07–1971 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने है। अगर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका सुमित्रा देवी पुत्री भीलो राम, गांव व डाकघर सालवा, की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सालवा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 10–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
806413 / 2026	नाम दुरुस्ती	19–01–2026	05–03–2026

श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री शकीन चन्द, वासी मोहाल आंसला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

किशोरी लाल पुत्र भगत राम, मोहाल आंसला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) आदि .. प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती under section 37(1) 1954 श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री शकीन चन्द, वासी मोहाल आंसला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री शकीन चन्द, वासी मोहाल आंसला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख वाक्या मोहाल आंसला में सुभाष चन्द पुत्र श्री शकीन चन्द दर्ज है, जबकि उनका सही नाम सुभाष चन्द राणा पुत्र श्री शकीन चन्द है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके मोहाल आंसला के राजस्व अभिलेख में सुभाष चन्द राणा पुत्र श्री शकीन चन्द किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 05–03–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 19–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
806431 / 2026	नाम दुरुस्ती	09–02–2026	05–03–2026

आशो देवी पुत्री श्री भगत राम, वासी मोहाल स्पाहल खास, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

अनिल कुमार पुत्र जगदीश चन्द, मोहाल स्पाहल खास, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) .. प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती under section 37(1) 1954 श्रीमती आशो देवी पुत्री श्री भगत राम, वासी मोहाल स्पाहल खास, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया आशो देवी पुत्री श्री भगत राम, वासी मोहाल स्पाहल खास, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख वाक्या मोहाल स्पाहल खास में आशो देवी पुत्री श्री भगत राम पुत्र गरीबू दर्ज है, जबकि उनका सही नाम आशा देवी पुत्री भगत राम पुत्र गरीबू है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके मोहाल स्पाहल खास के राजस्व अभिलेख में आशो देवी उर्फ आशा देवी पुत्री भगत राम पुत्र गरीबू किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 05–03–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 19–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
10 / NT / 2025	जन्म तिथि पंजीकरण	19–02–2026	05–03–2026

श्रीमती विद्या कुमारी पुत्री हरी राम, वासी मोहाल टीहरा, डा0 टीहरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 श्रीमती विद्या कुमारी पुत्री हरी राम, वासी मोहाल टीहरा, डा0 टीहरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

प्रार्थना–पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण श्रीमती विद्या कुमारी पुत्री हरी राम, वासी मोहाल टीहरा, डा0 टीहरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 05–05–1949 को ग्राम पंचायत टीहरा में हुआ था तथा सहबन गलती से ग्राम पंचायत टीहरा में दर्ज नहीं हो पाई है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत टीहरा में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 05–03–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत डूहक में दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 19–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
09 / NT / 2026	जन्म तिथि पंजीकरण	19–02–2026	05–03–2026

श्रीमती केशरी देवी पुत्री नारायण दास, वासी मोहाल बडैई, डा0 करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 श्रीमती केशरी देवी पुत्री नारायण दास, वासी मोहाल बडैई, डा0 करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना–पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती केशरी देवी पुत्री नारायण दास, वासी मोहाल बडैई, डा0 करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 01–07–1937 को ग्राम पंचायत करोट में हुआ था तथा सहबन गलती से ग्राम पंचायत करोट में दर्ज नहीं हो पाई है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत करोट में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 05–03–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत डूहक में दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 19–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
806422 / 2026	नाम दुरुस्ती	24–01–2026	05–03–2026

श्री शक्ति चन्द पुत्र जैसी, निवासी गांव ठान टिक्कर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती under section 37(1) 1954 श्री शक्ति चन्द पुत्र जैसी, निवासी गांव ठान टिक्कर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री शक्ति चन्द पुत्र जैसी, निवासी गांव ठान टिक्कर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसके पिता का नाम

मोहाल ठान टिक्कर के राजस्व अभिलेख में जैसी पुत्र दर्शनू दर्ज है, जबकि उनके पिता का सही नाम जैसी राम पुत्र दर्शनू है। लिहाजा इसे मोहाल ठान टिक्कर के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करके जैसी उर्फ जैसी राम पुत्र दर्शनू किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 05–03–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थी शक्ति चन्द के पिता का नाम मोहाल ठान टिक्कर के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 19–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

———————

In the Court of Tehsildar-cum**-Executive Magistrate, Dhatwal at Bijhari,**
Distt. Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Bundo Devi

Versus

General Public

Notice to General Public.

Bundo Devi d/o Rothal Ram, r/o Village Samtana, P.O. Samtana, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) has applied in this office for the entry of her date of birth which took place on 1-7-1946 but due to ignorance it could not be entered in the record of Gram Panchayat Samtana. In this regard, the applicant Bundo Devi has submitted the requisite documents mentioning her date of birth as 1-7-1946.

The General Public is hereby informed through this notice that if anyone has any objection regarding the entry of date of birth of applicant *i.e* 1-7-1946, they can either in person or through counsel can file their objections before the undersigned within 30 days from the date of publication of this notice otherwise the matter shall be proceeded further accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 19-02-2026.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
22 / RNTK / 2026	नाम दुरुस्ती	12–03–2026

रोशन दीन पुत्र युसूफ पुत्र मुसा, निवासी गांव, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी रोशन दीन ने इस अदालत में अपने पिता के नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना–पत्र दिया है। क्योंकि राजस्व रिकार्ड महाल चनणी में दिलखुर्रम दर्ज है, जबकि सही नाम युसूफ है। इस बारे प्रार्थी ने बतौर सबूत पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2020–21 महाल चनणी, आधार कार्ड, परिवार नकल की प्रति, हल्फिया ब्यान साथ संलग्न किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता का नाम दिलखुर्रम उर्फ युसूफ किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 12–03–2026 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 17–02–2026 को हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
20 / RNTK / 2026	नाम दुरुस्ती	12–03–2026

रतो देवी पत्नी पड़ू राम, निवासी गांव व डाकघर कुठेड़, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया रतो देवी ने इस अदालत में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना–पत्र दिया है। क्योंकि राजस्व रिकार्ड महाल कुठेड़ में क्रमशः रतनी देवी विध्वा पड़ू दर्ज है। जबकि सही नाम क्रमशः रतो देवी पत्नी पड़ू राम है। इस बारे प्रार्थिया ने बतौर सबूत पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2023–24 महाल कुठेड़, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र की प्रति हल्फिया ब्यान की प्रति परिवार नकल साथ संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार से सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया का नाम क्रमशः रतनी देवी उर्फ रतो देवी विध्वा पडू उर्फ पडू राम किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 12–03–2026 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 17–02–2026 को हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
19 / RNTK / 2026	नाम दुरुस्ती	12–03–2026

राम लाल पुत्र पडू राम, निवासी गांव वेही डाकघर वेही, पठियार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी राम लाल ने इस अदालत में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना–पत्र दिया है। क्योंकि राजस्व रिकार्ड महाल वेही में क्रमशः ज्ञान उपनाम राम पुत्र पडू दर्ज है। जबकि सही नाम क्रमशः राम लाल पुत्र पडू राम है। इस बारे प्रार्थी ने बतौर सबूत पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2020–21 महाल वेही, आधार कार्ड, परिवार नकल की प्रति, हल्फिया ब्यान वोटर कार्ड की प्रति संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम क्रमशः ज्ञान उपनाम राम उर्फ राम लाल पुत्र पडू उर्फ पडू राम किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 12–03–2026 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 17–02–2026 को हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
21 / RNTK / 2026	नाम दुरुस्ती	12–03–2026

सुनेहा पुत्री संजीव सिंह, निवासी गांव वेही डाकघर वेही, पठियार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया सुनेहा ने इस अदालत में अपने पिता के नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना–पत्र दिया है। क्योंकि राजस्व रिकार्ड महाल वेही में संजय कुमार दर्ज है। जबकि सही नाम संजीव सिंह है। इस बारे प्रार्थिया ने बतौर सबूत पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2021–22 महाल वेही, आधार कार्ड, परिवार नकल की प्रति, हल्फिया ब्यान, वोटर कार्ड की प्रति संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार से सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पिता का नाम संजय कुमार उर्फ संजीव सिंह किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 12–03–2026 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 17–02–2026 को हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 814510/2026 तारीख पेशी : 03–03–2026

पदमदेव सिंह पुत्र परस राम, निवासी महाल बरवाला, मौजा सिहोरवाला, उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हाल वासी महाल धार चौका, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषयः– नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।

नोटिस बनाम

प्रार्थी पदमदेव सिंह पुत्र परस राम, निवासी महाल बरवाला, मौजा सिहोरवाला, उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश (व हाल वासी महाल धार चौकी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0) ने प्रार्थना–पत्र प्रेषित अदालत कर निवेदन किया कि उसका नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त सिहोरवाला–2 के महाल बरवाला, उप–तहसील मझीण में गलत दर्ज हो गया है। प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त सिहोरवाला–2 के महाल बरवाला, मौजा सिहोरवाला, उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के राजस्व अभिलेख में पदम देव पुत्र परस राम दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम पदमदेव सिंह दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त सिहोरवाला–2 के महाल बरवाला के राजस्व अभिलेख में उसका नाम पदम देव पुत्र परस राम के बजाये पदमदेव सिंह पुत्र परस राम दर्ज व दुरुस्त किया जाये। वास्तव में भिन्न–भिन्न दो नामों का वह एक ही व्यक्ति है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व इलाका मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी को भी किसी प्रकार का कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 03–03–2026 प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त सिहोरवाला–2 के महाल बरवाला के राजस्व अभिलेख में पदम देव पुत्र परस राम के बजाये पदमदेव सिंह पुत्र परस राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 814512/2026 तारीख पेशी : 03–03–2026

अमीं चन्द पुत्र फांई राम, निवासी महाल बाग, मौजा व उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ..... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषयः– नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।

नोटिस बनाम

प्रार्थी अमीं चन्द पुत्र फांई राम, निवासी महाल बाग, मौजा व उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना–पत्र प्रेषित अदालत कर निवेदन किया कि उसका नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल बाग में गलत दर्ज हो गया है। प्रार्थी के पिता का नाम पटवार वृत्त मझीण के महाल बाग, मौजा उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा के राजस्व अभिलेख में फाँई पुत्र काहनू दर्ज है जबकि उनके अन्य दस्तावेजों मेरे व मेरे भाई के दस्तावेजों में फांई राम दर्ज है, तथा उनकी मृत्यु दिनांक 09–08–1985 को हो चुकी है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल बाग के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम फाँई पुत्र काहनू के बजाये फांई राम पुत्र काहनू दर्ज व दुरुस्त किया जाये। वास्तव में भिन्न–भिन्न दो नामों के वह एक ही व्यक्ति थे।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व इलाका मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी को भी किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 03–03–2026 प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश हो अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार मझीण के महाल बाग के राजस्व अभिलेख में फाँई पुत्र काहनू के बजाये फांई राम पुत्र काहनू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 814511/2026 तारीख पेशी : 03–03–2026

दामोदरी देवी विधवा जसवन्त सिंह, निवासी महाल डल, मौजा व उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ..प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषयः– नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।

नोटिस बनाम

प्रार्थिया दामोदरी देवी विधवा जसवन्त सिंह, निवासी महाल डल, मौजा व उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना–पत्र प्रेषित अदालत कर निवेदन किया कि उसके पति का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल अमरेड व पटवार वृत्त डल के महाल डल में गलत दर्ज हो गया है। प्रार्थिया के पति का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल अमरेड में जौहण्डू व पटवार वृत्त डल के महाल डल में जोहण्डू राम उपनाम जसवन्त सिंह दर्ज है, जबकि उनके अन्य दस्तावेजों, मेरे स्वयं व मेरे बेटे के दस्तावेजों में जसवन्त सिंह दर्ज है तथा उनकी मृत्यु दिनांक 27–03–2014 को हो चुकी है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल अमरेड व पटवार वृत्त डल के महाल डल के राजस्व अभिलेख में उसके पति का नाम जौहण्डू व जौहण्डू राम उपनाम जसवन्त सिंह पुत्र सुन्दर के बजाये जसवन्त सिंह पुत्र सुन्दर दर्ज व दुरुस्त किया जाये। वास्तव में भिन्न–भिन्न दो नामों के वह एक ही व्यक्ति थे।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व इलाका मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी को भी किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 03–03–2026 प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश हो अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के पति का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल अमरेड व पटवार वृत्तडल के महाल डल के राजस्व अभिलेख में जौहण्डू व जौहण्डू राम उपनाम जसवन्त सिंह पुत्र सुन्दर के बजाये जसवन्त सिंह पुत्र सुन्दर दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

Mr./Mrs./Ms. Anju Kumari d/o Late Saran Dass, Village Meti, P.O. Gharoh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Vs.

1. The General Public.

2. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala.
3. The Registrar (Births and Deaths)-cum- Panchayat Secretary, Concerned G.P.

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Mr./Mrs./Ms. Anju Kumari d/o Late Saran Dass, Village Meti, P.O. Gharoh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 04–04–1973 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / सबंधित ग्राम पंचायत में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इश्तहार / राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 04–03–2026 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 10 / T/C/2025 तारीख दायरा : 09–11–2025 तारीख पेशी : 28–02–2026

देवेन्द्र कुमार पुत्र खण्डू राम, वासी महाल गुरालधार, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थीगण।

विषय.––प्रार्थना–पत्र राजस्व अभिलेख महाल गुरालधार में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल गुरालधार में खण्डू दर्ज है जबकि मेरे आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र व पहचान–पत्र में खण्डू राम दर्ज है। जोकि मेरे पिता का सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल गुरालधार में उपने पिता के नाम की दुरुस्ती खण्डू उपनाम खण्डू राम के रूप में करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार / नोटिस राजपत्र हि0प्र0 के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28–02–2026 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं उजर / एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 07–01–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

Before the Sub-Divisional Collector, Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P.

File No. 60447/2025

Prem Singh s/o Sh. Kharku, r/o Village Behar, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P.
. .*Appalant.*

Versus

Prakash Chand s/o Sh. Todar, r/o Village Kapahi, P.O. Sari, Tehsil Dharampur, Distt. Mandi, H.P. . .*Respondents.*

Appeal u/s 14 of H.P. Land Revenue Act, against the order dated 25-08-2025 passed in file No. 26/DNT/2025 by the Assistant Collector 2nd Grade Sarkaghat, Distt. Mandi, H.P.

NOTICE

Whereas it has been proved to the satisfaction of the Court that the respondent cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under order 5 Rule 20 CPC is hereby issued against the respondents and should appear personally or through their counsel on 26-02-2026 at 11.00 A.M. Take notice that in default of their appearance on the day before mentioned the above said case will be heard and determined in his/their absence.

Given under my hand and seal of the Court this 13-02-2026.

Seal. Sd/-
Sub-Divsional Collector,
Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.).

———

Before the Assistant Collector 2nd Grade, Dhalwan, District Mandi, H. P.

In the matter of :

Smt. Meena Devi w/o Late Sh. Ram Dass, r/o Village Chamrahni, P.O. Chowk, Sub-Tehsil Dhalwan, District Mandi (H.P.) . .*Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Subject.—Notice for correction of name in revenue record.

Whereas, Smt. Meena Devi w/o Late Sh. Ram Dass, r/o Village Chamrahni, P.O. Chowk, Sub-Tehsil Dhalwan, District Mandi (H.P.) has filed an application in the court of undersigned in which she has stated that her husband name was wrongly written as Prem Singh s/o Sh. Dile Ram in the revenue record of Patwar Circle Majhwan, Muhal Chamrani, while actual name of the husband of applicant is Ram Dass s/o Sh. Dile Ram. She has also produced copies of her Aadhar Card, School Certificate, Army record, Panchayat Nakal Record and an affidavit in this regard alongwith Nakal Jamabandi for the year 2020-2021.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this correction, may file his objections either personally or through an agent in writing before this court on or before 26-02-2026. In case no objection is received by 26-02-2026, it will be presumed that there is no objection to the aforesaid correction and same will be corrected under the relevant Act accordingly.

Issued under my hand and seal of this court today on 4th February, 2026.

Seal.

Sd/-
Assistant Collector 2nd Grade, Dhalwan,
District Mandi (H. P.).

Before the Court of Assistant Collector 2nd Grade-cum-Naib Tehsildar,
Tehsil Sundernagar, District Mandi (H. P.)

Case No. 807719/2026 Date of Hearing: 28-02-2026

In the matter of :

Kamla Devi w/o Roop Singh s/o Prashotam Ram, r/o Village Nehra, P.O. Chambi, Tehsil Sundarnagar, District Mandi (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Correction of revenue entry in muhal Neri/17, Tehsil Sundarnagar, Distt. Mandi, H.P.

It is hereby informed to the general public that Smt. Kamla Devi d/o Uchhav Ram and present w/o Roop Singh s/o Prashotam Ram, Village Nehra, P.O. Chambi, Tehsil Sundarnagar, District Mandi, Himachal Pradesh has applied for correction of her name in the revenue records realting to land comprised in muhal Palohta/ 19, Patwar Circle, Palohta, Tehsil Sundarnagar, District Mandi (H.P.).

The applicant has stated that in her application that her name has been wrongly recorded as Hima d/o Uchhav in the revenue record pertaining to muhal Palhota/19, Patwar Circle Palohta, Tehsil Sundarnagar, Distt. Mandi (H.P.), whereas in all her official documents such as Aadhar Card, PAN Card, Bank Passbook and other documents, her name is correctly recorded as Kamla Devi.

Therefore, the general public is hereby informed by this notice that if any person has any objection regarding the proposed correction may appear in person or through their recognized agent/representative before the court of the undersigned on 28-02-2026 and file their objections, if any. In case of no objection is received within the stipulated time, the correction shall be carried out as per rules.

Issued under my hand and seal on this 10th day of February, 2026.

Seal. Sd/-
Assistant Collector 2nd Grade,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).

Before the Court of Assistant Collector 2nd Grade-cum-Naib Tehsildar,
Tehsil Sundernagar, District Mandi (H. P.)

Case No. 807718/2026 Date of Hearing: 28-02-2026

In the matter of :

Uchchhav Ram s/o Sonkiya, r/o Village Palahota, P.O. Upper Behli, Tehsil Sundarnagar, District Mandi (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Correction of revenue entry in muhal Neri/17, Tehsil Sundarnagar, Distt. Mandi, H.P.

It is hereby informed to the general public that Uchchhav Ram s/o Sonkiya, r/o Village Palahota, P.O. Upper Behli, Tehsil Sundarnagar, District Mandi (H.P.) has applied for correction of his name in the revenue records realting to land comprised in muhal Palohta/ 19, Patwar Circle, Palohta, Tehsil Sundarnagar, District Mandi (H.P.).

The applicant has stated that in her application that his name has been wrongly recorded as Uchhav in the revenue record pertaining to muhal Neri/17, Patwar Circle Palohta, Tehsil Sundarnagar, Distt. Mandi (H.P.), whereas in all his official documents such as Aadhar Card, PAN Card, Passport and revenue record relating to muhal Palahota/19, his name is correctly recorded as Uchhav Ram.

Therefore, the general public is hereby informed by this public notice that if any person has any objection regarding the proposed correction may appear in person or through their recognized agent/representative before the court of the undersigned on 28-02-2026 and file their objections, if any. In case of no objection is received within the stipulated time, the correction shall be carried out as per rules.

Issued under my hand and seal on this 10th day of February, 2026.

Seal. Sd/-
Assistant Collector 2nd Grade,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate, Sundernagar, District Mandi (H. P.)

Case No. 14/NT/2026 Date of Hearing: 05-03-2026

In the matter of :

Smt. Hasina Bibi d/o Nazir Hussain, r/o Village Dinak, P.O. Kanaid, Tehsil Sundarnagar, District Mandi (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Registration of delayed birth of the applicant.

Whereas, an application has been received from Smt. Hasina Bibi d/o Nazir Hussain, r/o Village Dinak, P.O. Kanaid, Tehsil Sundarnagar, District Mandi (H.P.), seeking registration of her delayed birth event, stated to have been born on 12-02-1981 at Village Dinak, P.O. Kanaid, Gram Panchayat Dugrain, which could not be entered/registered within the prescribed period under the Registration of Births and Deaths Act, 1969.

And whereas the said applicant has prayed for registration of the said birth at this belated stage.

Now, therefore, notice is hereby given to the general public that if any person has any objection or information regarding the facts stated in the said application, he/she may submit the same in writing alongwith supporting evidence, if any, to the undersigned on or before 05-03-2026.

In case no objection is received within the stipulated period, it shall be presumed that no one has any objection, and the matter shall be proceeded with further as per law.

Issued under my hand and seal on this 31st of February, 2026.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate, Sundernagar, District Mandi (H. P.)

Case No. 15/NT/2026 Date of Hearing: 09-03-2026

In the matter of :

Sh. Safqat Ali s/o Sh. Dost Mohammed, r/o Village Dinak, P.O. Kanaid, Tehsil Sundarnagar, District Mandi (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Registration of delayed birth of the applicant.

Whereas, an application has been received from Sh. Safqat Ali s/o Sh. Dost Mohammed, r/o Village Dinak, P.O. Kanaid, Tehsil Sundarnagar, District Mandi (H.P.), seeking registration of his delayed birth event, stated to have been born on 22-12-1969 at Village Dinak, P.O. Kanaid, Gram Panchayat Kanaid, which could not be entered/registered within the prescribed period under the Registration of Births and Deaths Act, 1969.

And whereas the said applicant has prayed for registration of the said birth at this belated stage.

Now, therefore, notice is hereby given to the general public that if any person has any objection or information regarding the facts stated in the said application, he/she may submit the same in writing alongwith supporting evidence, if any, to the undersigned on or before 09-03-2026.

In case no objection is received within the stipulated period, it shall be presumed that no one has any objection, and the matter shall be proceeded with further as per law.

Issued under my hand and seal on this 4th of February, 2026.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).

Before the Court of Assistant Collector 2nd Grade-cum-Naib Tehsildar,
Tehsil Sundernagar, District Mandi (H. P.)

In the matter of :

Pritam Singh s/o Nater Singh, r/o Village Chhajwar, P.O. Maloh, Tehsil Sundarnagar, District Mandi (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Correction of revenue entry in muhal Bari/26/8, Tehsil Sundarnagar, Distt. Mandi, H.P.

It is hereby informed to the general public that Pritam Singh s/o Natar Singh, r/o Village Chhajwar, P.O. Maloh, Tehsil Sundarnagar, District Mandi (H.P.) has applied for correction of his name in the revenue records realting to land comprised in muhal Bari/ 26/9, Tehsil Sundarnagar, District Mandi (H.P.).

The applicant has stated in his application that his correct and real name is Prittam Singh which has been wrongly entered as Suchet Singh in the revenue record pertaining to muhal Bari/ 26/9 and further requested to correct his name as Prittam Singh in the revenue record as per supporting documents submitted.

If any person has any objection regarding the proposed correction, the same may be submitted in writing before the undersigned on or before 27-02-2026. After the expiry of the said period or date the matter shall be proceeded and will be decided as per the law, in no case objection is received.

Issued under my hand and seal on this 5th day of February, 2026.

Seal. Sd/-

Assistant Collector 2nd Grade,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).

In the Court of Rajender Kumar Gautam (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sarkaghat, District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Gajnder Kumar s/o Sh. Amar Pal, r/o Ward No. 12, Khairati Nagar, Tehsil Bilsi, District Budaun (U.P.).

2. Rajni Devi d/o Late Sh. Preetam Chand, r/o Village Kharsal, P.O. Bhambla, Tehsil Baldwara, District Mandi (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Procalmation notice under the Special Marriage Act, 1954.

Whereas applicants Gajnder Kumar s/o Sh. Amar Pal, r/o Ward No. 12, Khairati Nagar, Tehsil Bilsi, District Budaun (U.P.) and Rajni Devi d/o Late Sh. Preetam Chand, r/o Village Kharsal, P.O. Bhambla, Tehsil Baldwara, District Mandi (H.P.) have given notice of their intended marriage under Section 5 of the Special Marrage Act, 1954 to the undersigned Marriage Officer.

Now, therefore, notice is hereby given to the general public that if any person has any objection to the said marriage, such objection/s should be submitted in writing with reasons, to the undersigned within thirty (30) days from the date of publication of this notice in Govt. Gazette.

In case no objection is received within the stipulated period, the marriage will be registered under this Act accordingly.

Issued under my hand and seal of this court on 2nd February, 2026.

Seal. Sd/-
Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sarkaghat, District Mandi (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री ओमकारा नन्द शर्मा सुपुत्र श्री रामा नन्द, निवासी खनौरा, तहसील करसोग, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम ओमकारा नन्द शर्मा है, जोकि उसके आधार कार्ड के रिकॉर्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल लंगेहड में गलती से उसका नाम ओमकार दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 11–03–2026 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रेम चन्द शर्मा सुपुत्र श्री नरैण दत शर्मा, निवासी डोल, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम प्रेम चन्द शर्मा है, जोकि उसके आधार कार्ड के रिकॉर्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल डोल में गलती से उसका नाम प्रेमा दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 11–03–2026 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री खेम राज सुपुत्र श्री चौकस राम, निवासी गध्यानी, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम खेम राज है, जोकि उसके आधार कार्ड व ग्राम पंचायत बकारटा के रिकॉर्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल ततोहर में गलती से उसका नाम खेम चन्द दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 11–03–2026 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 35 / प. ।ध2025 तारीख दायर दावा : 01–08–2025 अग्रिम तारीख पेशी : 25–03–2026

श्रीमती बन्दना देवी पत्नी श्री दिनेश कुमार, निवासी बैहड, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, (हि0प्र0)।
प्रार्थी।

बनाम

1. श्री मेहश ठाकुर सुपुत्र अनिल कुमार, 2. श्री साहिल ठाकुर सुपुत्र अनिल कुमार, 3. श्री संजीव कुमार सुपुत्र श्री बृज लाल, 4. श्रीमती शिवा देवी पत्नी श्री बृज लाल, 5. श्री राजेश कुमार सुपुत्र श्री जोंगी, 6. श्री विकास कुमार सुपुत्र श्री इश्वर दास, 7. श्री संजीव कुमार सुपुत्र श्री जगदीश कुमार, 8. श्री प्रदीप सुपुत्र अनिल कुमार समस्त निवासी बैहड, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0
प्रात्यार्थीगण।

दरख्वास्त बगर्ज तकसीम दावा खाता खतौनी नं0 72 / 107, खसरा नम्बर 260., रकबा तादादी 00–05–72 हैक्टेयर मुहाल बैहड, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालतम में मुहाल बैहड, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के खाता खतौनी नं0 72 / 107, खसरा नम्बर 260, रकबा तादादी 00–05–72 हैक्टेयर मुहाल बैहड की तकसीम करवाने हेतु दरख्वास्त गुजारी है। प्रतिवादी 6, 7, 8 कई बार समन जारी किये लेकिन उन्हें समनों की तामील नहीं हो पा रही है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस तकसीम बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25–03–2026 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा गैर–हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मौका तकसीम करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

In the Court of Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural), District Shimla (H.P.)**

In the matter of:—

1. Sh. Akshay Sahebrao Patole s/o Sh. Sahebrao Patole, r/o Survey No. 53, Trimurti Colony, Kalepadal, Pune City, Tehsil Haweli, District Pune Maharashtra-411 028 (age 30 years).

2. Ms. Divya Chauhan d/o Narayan Dass Chauhan, P.O. Dhalli, Tehsil Shimla Rural, District Shimla, Himachal Pradesh-171 012 (age 28 years) . .*Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Notice to instead marriage under section 5 of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Akshay Sahebrao Patole s/o Sh. Sahebrao Patole, r/o Survey No. 53, Trimurti Colony, Kalepadal, Pune City, Tehsil Haweli, District Pune Maharashtra and Ms. Divya Chauhan d/o Narayan Dass Chauhan, P.O. Dhalli, Tehsil Shimla Rural, District Shimla, Himachal Pradesh have filed an application in the court of the undersigned under section 5 of the Special Marriage Act, 1954 and have intended to get married within three calander months from the date thereof.

Therefore, the General Public is hereby informed through the notice that any person who has any objections regarding this marriage, can file the objections personally or in writing before this court on or before 20-03-2026 after that no objection will be entertained and marriage will be solemnized/registered.

Issued today on 18th February, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriages Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Rural) (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Vaishali w/o Manish, r/o Village Palzara, P.O. Bahil, Tehsil Rampur Bsr, District Shimla, H.P. . .*Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

PROCLAMATION REGARDING CORRECTION OF NAME

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of her name from "VESHALI w/o MANISH" to "VAISHALI w/o MANISH" in the records of the Aadhar card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change of applicant name as "VAISHALI w/o MANISH" in place of "VESHALI w/o MANISH" they should appear before the undersigned on or before 03-03-2026 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 2nd day of February, 2026 under my hand and seal of the Court.

Seal. Sd/-
(HARSH AMRENDER SINGH, HAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Phui Devi w/o Chet Ram, r/o Village Kapti, P.O. Dhar Gaura, Tehsil Rampur Bsr., District Shimla, H.P. . .*Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

PROCLAMATION REGARDING CORRECTION OF NAME

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of her name from "PHUL DEVI w/o CHET RAM" to "PHUI DEVI w/o CHET RAM" in the records of the Aadhar card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change of applicant's name as "PHUI DEVI w/o CHET RAM" in place of "PHUL DEVI w/o CHET RAM" they should appear before the undersigned on or before 09-03-2026 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 10th day of February, 2026 under my hand and seal of the Court.

Seal. Sd/-
(HARSH AMRENDER SINGH, HAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Shri Devender Singh s/o Ram Sain, r/o Village & P.O. Dofda, Tehsil Rampur Bsr., District Shimla, H.P. . .*Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

PROCLAMATION REGARDING CORRECTION OF NAME

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of his son's name from "SHORYA s/o DEVENDER SINGH" to "SHOURYA KAITHYAN s/o DEVENDER SINGH" in the records of the Aadhar card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change of applicant's son name as "SHOURYA KAITHYAN s/o DEVENDER SINGH" in place of "SHORYA s/o DEVENDER SINGH" they should appear before the undersigned on or before 17-03-2026 either personally or through their authorized agent/ pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 16th day of February, 2026 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-
(HARSH AMRENDER SINGH, HAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Shri Satish Chauhan s/o Mast Ram, r/o Village & P.O. Chakti, Tehsil Nankhari, District Shimla, H.P. . .*Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

PROCLAMATION REGARDING CORRECTION OF NAME

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of his son's name from "PRITYUSH CHAUHAN s/o SATISH CHAUHAN" to "PRATYUSH

CHAUHAN s/o SATISH CHAUHAN" in the records of the Aadhar card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change of applicant's son name as "PRATYUSH CHAUHAN s/o SATISH CHAUHAN" in place of "PRITYUSH CHAUHAN s/o SATISH CHAUHAN" they should appear before the undersigned on or before 09-03-2026 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 10th day of February, 2026 under my hand and seal of the Court.

Seal. Sd/-
(HARSH AMRENDER SINGH, HAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Prem Dassi w/o Ken Ram, r/o Village Gaura, P.O. Dhar Gaura, Tehsil Rampur Bsr., District Shimla, H.P. . .*Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

PROCLAMATION REGARDING CORRECTION OF NAME

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of her name from "PAPLI DEVI w/o KAIN RAM" to "PREM DASSI w/o KAIN RAM" in the records of the Aadhar card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change of applicant's son name as "PREM DASSI w/o KAIN RAM" in place of "PAPLI DEVI w/o KAIN RAM" they should appear before the undersigned on or before 09-03-2026 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 10th day of February, 2026 under my hand and seal of the Court.

Seal. Sd/-
(HARSH AMRENDER SINGH, HAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Smt. Neena Devi w/o Pramod Kumar, r/o Village Doi, P.O. Barach, Tehsil Rampur Bsr., District Shimla, H.P. . .*Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

PROCLAMATION REGARDING CORRECTION OF NAME

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of her son's name from "ABHINAVPAISRA s/o PRAMOD KUMAR" to "AVINAV s/o PRAMOD KUMAR" in the records of the Aadhar card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change of applicant's son name as "AVINAV s/o PRAMOD KUMAR" in place of "ABHNAVPAISRA s/o ABHINAVPAISRA S/O PRAMOD KUMAR" they should appear before the undersigned on or before 12-03-2026 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 12th day of February, 2026 under my hand and seal of the Court.

Seal. Sd/-
(HARSH AMRENDER SINGH, HAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Megistrate, Kumarsain, District Shimla (H.P.)

1. Shri Raman s/o Sh. Nand Lal, r/o Village Dhalti, P.O. Jarol, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.).

2. Ms. Ritika d/o Sh. Nawal Kishore Shah, r/o Husain Gang Library Road Kukdi, Maussorie range, Massoorie Dehradun Uttarakhand-248179 .. *Applicant.*

Versus

General Public

Subject.—Registration of marriage under Special Marriage Act, 1954 (Central Act 43 of 1954).

Whereas, the above named applicants have made an application of Special Marriage Act, 1954 (Central Act 43 of 1954) alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 10-04-2025 at Dhalti Jarol, Tehsil Kumarsain, District Shimla, (H.P.) but this marriage has not been entered in the records of the Registrar of Marriage-*cum*-Panchayat Jarol, District Shimla H.P. and whereas, the applicants have prayed that necessary order for the registration of their marriage.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objectons regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of the notice, either personally or through their authorized agent. In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection to the proposed registration of marriage and order shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand seal of the Court on this 18th February, 2026.

Seal.

Sd/-
(Mukesh Sharma) HAS,
Sub-Divisional Magistrate,
Kumarsain, District Shimla (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : / 2026 दायर तिथि :

श्री Tenizn Gyaltsen s/o Shri Tenzin Wangchuk, r/o H. No. 141, Sakya Tibetan Society Puruwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी Tenizn Gyaltsen s/o Shri Tenzin Wangchuk, r/o H. No. 141, Sakya Tibetan Society Puruwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू–एन / एसटी / बीएण्डडी / डिलेय केसिस / 2025–12474, दिनांक 03–01–2026 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 30–05–1996 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की स्वयं की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 28–02–2026 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर / एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में Tenzin Gyaltsen s/o Shri Tenzin Wangchuk, r/o H. No. 141, Sakya Tibetan Society Puruwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : / 2026 दायर तिथि :

श्रीमती जुलेखा पुत्री फकीरिया, निवासी मोहक्कमपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती जुलेखा पुत्री फकीरिया, निवासी मोहक्कमपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र संख्या एचएफडब्ल्यू–एन / एसटी / बीएण्डडी / डिलेय केसिस / 2025–13373, दिनांक 27–01–2026 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01–07–1968 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की स्वयं की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत नवादा के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 03–02–2026 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर / एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती जुलेखा पुत्री फकीरिया, निवासी मोहक्कमपुर की जन्म तिथि 01–07–1968 को तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 03–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती सबा आलम पुत्री श्री महबूब आलम, निवासी मकान नम्बर 1692 / 6, मोहल्ला शमशेर गंज नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार / नोटिस।

प्रार्थिया श्रीमती सबा आलम पुत्री श्री महबूब आलम, निवासी मकान नम्बर 1692 / 6, मोहल्ला शमशेर गंज नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र संख्या क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-12346, दिनांक 31–12–2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर पालिका नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0, दसवीं प्रमाण–पत्र, रिपोर्ट पार्षद वार्ड नम्बर 6 एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 04–12–1974 है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन में दर्ज ना करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 12–03–2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती सबा आलम पुत्री श्री महबूब आलम एवं श्रीमती रेहाना आलम की जन्म तिथि 04–12–1974, नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 13–02–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, राजगढ़,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 05 / 2026 तारीख मरजुआ : 05–02–2026

श्रीमती शीला देवी पुत्री लगनूराम, निवासी जुनियो कनोगटा, डाकघर पबियाना, ग्राम पंचायत करगाणू, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

इश्तहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

श्रीमती शीला देवी पुत्री लगनूराम, निवासी जुनियो कनोगटा, डाकघर पबियाना, ग्राम पंचायत करगाणू, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 2003 की धारा 9(3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत करगाणू में दर्ज करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसका जन्म घर पर हुआ है, परन्तु अज्ञानता के कारण निश्चित अवधि में जन्म तिथि पंचायत के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं हो सकी। आवेदिका के अनुसार उसका जन्म दिनांक 10–01–1966 को हुआ है। सायल ने ग्राम पंचायत करगाणू के पंजीकरण पंजी में अपनी जन्म तिथि दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को शीला देवी पुत्री लगनू की जन्म तिथि ग्राम पंचायत करगाणू में दर्ज करने में एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर हमारे कार्यालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा रजिस्ट्रार (जन्म व मृत्यु) एवं सचिव ग्राम पंचायत करगाणू को जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10–02–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 18 / 13(3) of 2026 तारीख मजरुआ : 03–02–2026 तारीख पेशी : 06–03–2026

प्रार्थी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी काठमली, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3)।

प्रार्थी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी काठमली, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरख्वास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थी अपने बेटे नीरज चौहान का जन्म ग्राम पंचायत जामू कोटी में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी के बेटे की जन्म मिति 15–10–2023 को ग्राम पंचायत जामू कोटी में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण आज तक अपने बेटे की जन्म तिथि ग्राम पंचायत जामू कोटी में दर्ज न करवा सका, जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म तिथि दर्ज करने के मौजूदा मामले में प्रार्थी के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थी के सभी सगे–सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 06–03–2026 को कार्यकारी दण्डाधिकारी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 07–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित / –
मोहर। (जय सिंह ठाकुर),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 19 / 13(3) of 2026 तारीख मजरुआ : 03–02–2026 तारीख पेशी : 06–03–2026

प्रार्थिया श्रीमती किरण देवी पुत्री श्री सनापा, निवासी भरोग बनेड़ी, ग्राम पंचायत कांडो कांसर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3)।

प्रार्थिया श्रीमती किरण देवी पुत्री श्री सनापा, निवासी भरोग बनेड़ी, ग्राम पंचायत कांडो कांसर, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरख्वास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कांडो कांसर में दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया का जन्म मिति 05–05–1977 को ग्राम पंचायत कांडो कांसर में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण आज तक जन्म तिथि ग्राम पंचायत कांडो कांसर में दर्ज न करवा सकी, जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म तिथि दर्ज करने के मौजूदा मामले में प्रार्थिया के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थिया के सभी सगे–सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 06–03–2026 को कार्यकारी दण्डाधिकारी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें । अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 09–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित / –
मोहर। (जय सिंह ठाकुर),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 17 / 13(3) of 2026 तारीख मजरुआ : 03–02–2026 तारीख पेशी : 06–03–2026

प्रार्थी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी काठमली, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3)।

प्रार्थी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी काठमली, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरख्वास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थी अपने बेटे कृष चौहान का जन्म ग्राम पंचायत जामू कोटी में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी के बेटे का जन्म मिति 15–10–2023 को ग्राम पंचायत जामू कोटी में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण आज तक अपने बेटे की जन्म तिथि ग्राम पंचायत जामू कोटी में दर्ज न करवा सका, जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म तिथि दर्ज करने के मौजूदा मामले में प्रार्थी के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थी के सभी सगे–सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 06–03–2026 को कार्यकारी दण्डाधिकारी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें। अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 07–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित / –

मोहर। (जय सिंह ठाकुर),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री जयपाल पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी गांव ओगली, डाकघर एवं ग्राम पंचायत काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार / नोटिस।

प्रार्थी श्री जयपाल पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी गांव ओगली, डाकघर एवं ग्राम पंचायत काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन–पत्र जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-13378, दिनांक 27–01–2026 अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0, अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र, रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर, हि0प्र0, नकल परिवार रजिस्टर, सर्विस प्रमाण–पत्र एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 20–08–1964 है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 12–03–2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री जयपाल पुत्र श्री पूर्ण चन्द की जन्म तिथि 20–08–1964, ग्राम पंचायत काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 13–02–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री सुरेन्द्र चंदेल, कार्यकारी दण्डाधिकसरी एवं नायब तहसीलदार, ममलीग, जिला सोलन (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 03 ६ 2026 तारीख मजरूआ : 08–01–2026

श्रीमती सीता देवी पुत्री श्री बाला राम, निवासी ग्राम पलाह, डा0 पौधना, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व धारा 9(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 2003.

श्रीमती सीता देवी पुत्री श्री बाला राम, निवासी ग्राम पलाह, डा0 पौधना, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हि0प्र0 की निवासी है। आवेदिका ग्राम पंचायत जधाना में अपनी जन्म तिथि दिनांक 10–03–1970 का पंजीकरण करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सीता देवी पुत्री श्री बाला राम, निवासी ग्राम पलाह, डा0 पौधना, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हि0प्र0 के ग्राम पंचायत कनैर में अपनी जन्म तिथि दिनांक 10–03–1970 का पंजीकरण करवाना चाहती है। यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन होने के 30 दिनों के भीतर लिखित / मौखिक असालतन / वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रस्तुत कर सकता है। यदि उक्त समय अवधि के भीतर किसी प्रकार का एतराज प्राप्त न होता है तो उक्त प्रकरण पर नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12–02–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
(सुरेन्द्र चंदेल),
कार्यकारी दण्डाधिकारी ममलीग,
जिला सोलन, हि0 प्र0।

————

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Kasauli-cum-**Marriage Officer, Kasauli**

1. Sh. Mehar Singh aged 34 years D.O.B. 20-06-1991 s/o Sh. Jagat Ram, r/o Village Budhon Seola, P.O. Nayagram, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.).

2. Smt. Kavita aged 23 years D.O.B. 12-09-2002 d/o Sh. Ranjeet Singh, r/o Village Jakhroda Naraini, P.O. Pratha, Tehsil Kasauli Distt. Solan (H.P.).

Versus

General Public

Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Mehar Singh aged 34 years D.O.B. 20-06-1991 s/o Sh. Jagat Ram, r/o Village

Budhon Seola, P.O. Nayagram, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H.P.) (Bride groom) and Smt. Kavita aged 23 years D.O.B. 12-09-2002 d/o Sh. Ranjeet Singh, r/o Village Jakhroda Naraini, P.O. Pratha, Tehsil Kasauli Distt. Solan (H.P.) for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 14-01-2026 that they have solemnized their marriage with each other on 11-07-2024. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard should reach this court on or before 10-03-2026. Failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 10-02-2026 my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Kasauli, District Solan (H. P.).

CHANGE OF NAME

I, Naresh Kumar Sood s/o Puran Chand Sood, r/o V.P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my and father's name from Naresh Kumar s/o Puran Chand to Naresh Kumar Sood s/o Puran Chand Sood. Concerned Please note.

NARESH KUMAR SOOD
s/o Puran Chand Sood,
r/o V.P.O. Dari, Tehsil Dharamshala,
Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sita Devi w/o Ravi Kumar, r/o Hirpal Niwas, Near Do Nalu, V.P.O. Reckong Peo, Tehsil Kalpa, Distt. Kinnaur (H.P.) declare that I have changed my son's name from Danish to Kartik in his Aadhar Card bearing No. 6346 1519 6780. All concerned please may note.

SITA DEVI
w/o Ravi Kumar,
r/o Hirpal Niwas, Near Do Nalu, V.P.O. Reckong Peo,
Tehsil Kalpa, Distt. Kinnaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ashwani Kumari w/o Sh. Ankush, r/o Vill. Khanaur, P.O. Seoh, Tehsil Dharampur, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Baby one of Ashwani Kumari to Arushi. She shall be known as Arushi for all purposes in future. All concerned please may note.

ASHWANI KUMARI
w/o Sh. Ankush,
r/o Vill. Khanaur, P.O. Seoh,
Tehsil Dharampur, Distt. Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Harish Kumar Chaudhary aged 58 years s/o Shri Ram Kishore, r/o V.P.O. & Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.) declare that in some documents my name is wrongly entered as Harish Kumar Chaudhary, but my correct name is Chaudhary Harish Kumar Ramkishore. Note all concerned.

HARISH KUMAR CHAUDHARY
s/o Shri Ram Kishore,
r/o V.P.O. & Tehsil Jawalamukhi,
Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Guffal Kumar s/o Sh. Parmodh Singh, r/o V.P.O. Bela, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Guffal Kumar to Nitin Kumar for all purposes in future. Please note.

GUFFAL KUMAR
s/o Sh. Parmodh Singh,
r/o V.P.O. Bela, Tehsil Nadaun,
Distt. Hamirpur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Mehandi Devi w/o Shri Layak Ram, r/o Vill. Gajwa, P.O. Sangna, Tehsil Sangrah, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that my correct name is Mehandi Devi in all official records, but my name is wrongly recorded as Mehadi in my Aadhar Card No. 6168 8426 3117. All concerned please may note & correct the same.

MEHANDI DEVI
w/o Shri Layak Ram,
r/o Vill. Gajwa, P.O. Sangna,
Tehsil Sangrah, Distt. Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ashwar s/o Liyakat Ali, P.O. Kataula, Tehsil Sadar, Darlog (402), Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Ashraf to Ashwar in Aadhar Card No. 8703 5933 3464. All concerned please note.

ASHWAR
s/o Liyakat Ali,
P.O. Kataula, Tehsil Sadar, Darlog (402),
Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shreshtha w/o Suresh Kumar, Vill. Duhki, P.O. Uttrala, Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Sharastha to Shreshtha. All note it.

SHRESHTHA
w/o Suresh Kumar,
Vill. Duhki, P.O. Uttrala,
Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Veer Bala w/o Ved Mitter, r/o Vill. Kanlog, P.O. Banah Ki Ser, Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that my daughter's correct name is Vaishnavi Sharma, whereas it has been wrongly recorded as Vashnavi in her Aadhar Card No. 9074 3914 8219. This may please be corrected to Vaishnavi Sharma.

VEER BALA
w/o Ved Mitter,
r/o Vill. Kanlog, P.O. Banah Ki Ser,
Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Surestha Kumari w/o Sher Singh, V.P.O. Chakwan Shamirpur, Tehsil & Distt. Kangra (H.P.) declare that as per my School Certificate and my husband's army Discharge Book my correct name is Surestha Kumari. That my name has been recorded as Sureshta Devi in my Aadhar Card. I want to change my name in Aadhar Card from Sureshta Devi to Surestha Kumari. Sureshta Devi and Sureshtha Kumari is one and same person.

SURESTHA KUMARI
w/o Sher Singh,
V.P.O. Chakwan Shamirpur,
Tehsil & Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Mausam Deen s/o Sh. Tejram, r/o Vill. Kofari Kotla (469), P.O. Kunihar, Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Mausam Deen to Mausamudeen. Please note all concerned for further.

MAUSAM DEEN
s/o Sh. Tejram,
r/o Vill. Kofari Kotla (469),
P.O. Kunihar, Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Yog Raj s/o Sh. Mohnu, r/o Vill. Makkan, P.O. Sanwal, Tehsil Churah, Distt. Chamba (H.P.) declare that I have changed my name from Man Chand to Yog Raj. I shall be known as Yog Raj for all purposes in future. All concerned please note.

YOG RAJ
s/o Sh. Mohnu,
r/o Vill. Makkan, P.O. Sanwal,
Tehsil Churah, Distt. Chamba (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Lobhi Ram s/o Sh. Laxman, r/o Vill. Bhdkwas, P.O. Jungra, Tehsil Churah, Distt. Chamba (H.P.) declare that in Aadhar Card of my minor son, having No. 4853 5409 3951, his name is wrongly entered as Bhupeindr Kumar. Whereas his correct name is Bhuvnesh Kumar. All concerned please note.

LOBHI RAM
s/o Sh. Laxman,
r/o Vill. Bhdkwas, P.O. Jungra,
Tehsil Churah, Distt. Chamba (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Anil Sharma s/o Krishan Lal Sharma, Vill. Salabkot, P.O. Sundernagar-1, Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) declare that I want to correct my son's name in birth record of MC Sundernagar as Moksh Mannomay Sharma instead of Moksh Sharma.

ANIL SHARMA
s/o Krishan Lal Sharma,
Vill. Salabkot, P.O. Sundernagar-1,
Tehsil Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Priyanka w/o Vikram Mehta, r/o Vill. Laujaut, Tehsil Chopal, Distt. Shimla (H.P.) declare that my son's name is incorrectly listed as Baby One of Priyanka in his Aadhar Card, but his name in Gram Panchayat Thandha is Bhavik Mehta. My son's name should be registered as Bhavik Mehta on his Aadhar. All concerned please may note.

PRIYANKA
w/o Vikram Mehta,
r/o Vill. Laujaut,
Tehsil Chopal, Distt. Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Sachin Thakur s/o Sh. Karam Singh, r/o Seth Niwas, Second Floor, Near Shiv Mandir, Comely Bank, Shimla (H.P.)-171 003 declare that my son's name in his Aadhar Card have been wrongly entered as Baby two of Sangeeta, whereas his correct name is Yuvansh Thakur. All concerned please note.

SACHIN THAKUR
s/o Sh. Karam Singh,
r/o Seth Niwas, Second Floor, Near Shiv Mandir,
Comely Bank, Shimla (H.P.)-171 003.

CHANGE OF NAME

I, Narain Singh s/o Sh. Choudhary Ram, r/o Vill. Sorar, P.O. Jolsappar, Sub-Tehsil Kangoo, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Narayan Singh to Narain Singh for all purposes in future. Please note.

NARAIN SINGH
s/o Sh. Choudhary Ram,
r/o Vill. Sorar, P.O. Jolsappar,
Sub-Tehsil Kangoo, Distt. Hamirpur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Roshan Lal Sharma s/o Late Rameshwar Dass, r/o Vill. Bhawana, P.O. Jubbarhatti, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) declare that my name is recorded as Roshan Lal Sharma in Aadhar Card and as Roshan Lal in educational documents, which pertains to the same person. My Late father's correct name is Rameshwar Dass not Rameshwer Dass. Concerned authorities please note.

ROSHAN LAL SHARMA
s/o Late Rameshwar Dass,
r/o Vill. Bhawana, P.O. Jubbarhatti,
Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Pappu Sharma (43 years) s/o Shri Nirmal Kumar, r/o V.P.O. Charri, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) declare that the name of my son has been wrongly entered in his Aadhar Card as Sorav s/o Shanti Devi. Whereas correct name of my son is Sourab Sharma s/o Sh. Pappu Sharma. Both names are of one and same person. All note.

PAPPU SHARMA
s/o Shri Nirmal Kumar,
r/o V.P.O. Charri, Tehsil Shahpur,
Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shatinder Singh Kanwar s/o Late Sh. Bhim Singh Kanwar, r/o Parwati Hatu Niwas, Malyana, P.O. Malyana, Shimla (H.P.)-171 006 declare that I have changed my name from Shatinder Singh (Old Name) to Shatinder Singh Kanwar (New Name). All concerned may please note.

SHATINDER SINGH KANWAR
s/o Late Sh. Bhim Singh Kanwar,
r/o Parwati Hatu Niwas, Malyana,
P.O. Malyana, Shimla (H.P.)-171 006.

CHANGE OF NAME

I, Ramesh Chander s/o Sh. Padam Sagar, Village & P.O. Shong, Tehsil Sangla, Distt. Kinnaur (H.P.) declare that I have changed my name from Ram Chander to Ramesh Chander. All concerned note.

RAMESH CHANDER
s/o Sh. Padam Sagar,
Village & P.O. Shong, Tehsil Sangla,
Distt. Kinnaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rajender Singh s/o Chamel Singh, r/o Village Kharad, P.O. Jamu, Tehsil Sangrah, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my son's name from Amith Chauhan to Amit Chauhan in Aadhar Card No. 3569 2549 8227. All concerned please note.

RAJENDER SINGH
s/o Chamel Singh,
r/o Village Kharad, P.O. Jamu,
Tehsil Sangrah, Distt. Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rocky Chauhan s/o Sh. Shyam Lal Chauhan, r/o Vill. & P.O. Khashadhar, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my daughter's name from Baby two of Kalpana (Old Name) to Ravya Chauhan (New Name). Concerned authorities may please note.

ROCKY CHAUHAN
s/o Sh. Shyam Lal Chauhan,
r/o Vill. & P.O. Khashadhar,
Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Raj Kumar s/o Sh. Hariya, r/o Village Toga, P.O. Athedgwalu, Tehsil Salooni & Distt. Chamba (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing number 7579 3009 3543 my name is wrongly entered as Rajo, which is incorrect. Whereas my correct name is Raj Kumar. I shall be known as Raj Kumar for all purposes in future. Please note.

RAJ KUMAR
s/o Sh. Hariya,
r/o Village Toga, P.O. Athedgwalu,
Tehsil Salooni & Distt. Chamba (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Manthan Sharma s/o Late Ashwani Kumar, r/o Room No. 09, Basement Floor, Behind Tehsil Combined Building , Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.)-176 061 hereby declare that my name has been wrongly mentioned as "Manthan *alias* Mangal Sen", which is incorrect. My correct name is "Manthan Sharma". Both names refer to one and the same person. Henceforth, I shall be known by my correct name as Manthan Sharma for all legal and official purposes.

MANTHAN SHARMA
s/o Late Ashwani Kumar,
r/o Room No. 09, Basement Floor,
Behind Tehsil Combined Building ,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Pinky d/o Sh. Kesav, r/o Village Sukrethi, P.O. Charori, Tehsil Churah & Distt. Chamba (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing number 2908 7560 4355 my name is wrongly entered as Vasanti, which is incorrect. Whereas my correct name is Pinky. I shall be known as Pinky for all purposes in future. Please note.

PINKY
d/o Sh. Kesav,
r/o Village Sukrethi, P.O. Charori,
Tehsil Churah & Distt. Chamba (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Bheer Dasi w/o Jogi Ram, r/o Village Shegali, P.O. Panarsa, Tehsil Aut, District Mandi (H.P.) declare that in all government documents my correct name is Bheer Dasi, but in my Aadhar Card my name is mistakenly entered as Mira Dasi. Kindly correct it as Bheer Dasi.

BHEER DASI
w/o Jogi Ram,
r/o Village Shegali,
P.O. Panarsa, Tehsil Aut,
District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sarista Devi d/o Sh. Dalip Singh presently w/o Baldev Chand, r/o V.P.O. Putrial, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Sareshtha Kumari to Sarista Devi. I shall be known as Sarista Devi for all purposes in future. All concerned please note.

SARISTA DEVI
d/o Sh. Dalip Singh,
presently w/o Baldev Chand,
r/o V.P.O. Putrial,
Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Bhagpatee Devi w/o Late Sh. Devi Ram, r/o Vill. Basahi (Chir Chakka), P.O. Makreri, Teh. Jogindernagar, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Bhagwatu Devi to Bhagpatee Devi. Please note.

BHAGPATEE DEVI
w/o Late Sh. Devi Ram,
r/o Vill. Basahi (Chir Chakka),
P.O. Makreri, Teh. Jogindernagar,
Distt. Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Shabnam Arya Malhi d/o Smt. Sarla Bakshi, r/o H. No. 212/3, Mohalla Amarpur, Shimla Road, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.) hereby declare that the names Shabnam Bakshi, Shabnam Arya & Shabnam Arya Malhi pertains to one and the same person. All the names pertain to me. Concerned please may note.

SHABNAM ARYA MALHI
d/o Smt. Sarla Bakshi,
r/o H. No. 212/3, Mohalla Amarpur,
Shimla Road, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sudarsan Devi w/o Sh. Satya Parkash, r/o Village & P.O. Jol Sapper, Teh. Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Sudershana Devi to Sudarsan Devi. I shall be known as Sudarsan Devi for all purposes in future. All concerned please note.

SUDARSAN DEVI
w/o Sh. Satya Parkash,
r/o Village & P.O. Jol Sapper,
Teh. Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Samitran Devi w/o Sh. Kali Dass, r/o Vill. Dhamariana, P.O. Tihra, Teh. Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Savitan Devi to Samitran Devi. I shall be known as Samitran Devi for all purposes in future. All concerned please note.

SAMITRAN DEVI
w/o Sh. Kali Dass,
r/o Vill. Dhamariana,
P.O. Tihra, Teh. Sujanpur,
Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kaloo Devi w/o Sh. Salig Ram, r/o Village Grange, Muhal Puje, P.O. Nichar, Tehsil Nichar, Distt. Kinnaur (H.P.) declare that I have changed my name from Kaloo Devi (previous name) to Kaul Pati (new name). All concerned please may note.

KALOO DEVI
w/o Sh. Salig Ram,
r/o Village Grange, Muhal Puje,
P.O. Nichar, Tehsil Nichar,
Distt. Kinnaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Jagdish Chand s/o Sh. Rup Singh, r/o Vill. Beru, P.O. Thona, Teh. Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Affsha Marwah to Jagdish Chand. I shall be known as Jagdish Chand for all purposes in future. All concerned please note.

JAGDISH CHAND
s/o Sh. Rup Singh,
r/o Vill. Beru, P.O. Thona,
Teh. Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Riyan s/o Mohd. Anwar, r/o Mohalla Kasakra, P.O. Sultanpur, Teh. & Distt. Chamba (H.P.) declare that my correct name is Rian Guleria but in my Aadhar Card No. 5435 8556 3907, my name has been wrongly entered as Riyan. I want to correct my name Rian Guleria instead of Riyan.

RIYAN
s/o Mohd. Anwar,
r/o Mohalla Kasakra, P.O. Sultanpur,
Teh. & Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sadesh Kumari w/o Sh. Shanti Swaroop, r/o Vill. Ulehar, P.O. Dullara, Tehsil Sihunta, Distt. Chamba (H.P.) declare that I have changed my name from Swadesh Kumari to Sadesh Kumari. I shall be known as Sadesh Kumari for all purposes in future. All concerned please note.

SADESH KUMARI
w/o Sh. Shanti Swaroop,
r/o Vill. Ulehar, P.O. Dullara,
Tehsil Sihunta, Distt. Chamba (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट https://rajpatra.hp.gov.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।